[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)
अधिसूचना सं. 51/2019- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2019

सा.का.नि.   (अ).-- भारत सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 02/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 609(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी II के स्तंभ (3) के क्रम संख्या (51) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" शब्दों के स्थान पर, "संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख" शब्द रखे जायेंगे।

[फा.सं. 20/06/17/2018 - जीएसटी (भाग-I)]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:- मूल अधिसूचना सं. 02/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. संख्यांक 609(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 04/2019- केन्द्रीय कर, तारीख 29 जनवरी, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 64(अ), तारीख 29 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा इसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था ।